

नषिध कानून और मुद्दे

प्रलिस के लये:

नजिता का अधकार, शराब की बकिरी पर प्रतबिध लगाने वाले राज्य, राज्य के नीतनिदिशक सदिधांत (DPSP), मौलिक कर्तव्य ।

मेन्स के लये:

भारत में प्रोहबिशन एक्ट्स से जुडी चिताएँ, अनुच्छेद 47 बनाम नजिता का अधकार (अपनी पसंद के खाने और पीने के अधकार सहित जीवन का अधकार)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में बहिर सरकार ने अवैध शराब नरिमाण की नगिरानी के लये [डरोन](#) का उपयोग करने का नरिणय लया है ।

- इसने नषिध अधनियम के प्रावधानों को लागू करने के लये भौतिक और वत्तीय संसाधनों के उपयोग की उपयोगिता पर बहस शुरू कर दी है ।

प्रमुख बदि:

■ परिचय:

- नषिध कानून द्वारा कसि चीज को मना करने का कार्य या अभ्यास है: वशिष रूप से यह शब्द मादक पेय पदार्थों के नरिमाण, भंडारण (चाहे बैरल में या बोतलों में), परविहन, बकिरी, कब्जा और खपत पर प्रतबिध लगाने को संदर्भित करता है ।
- संवैधानिक प्रावधान:
 - अनुच्छेद 47: भारत के संवधान में नरिदेशक सदिधांतों में कहा गया है कि "राज्य मादक पेय और स्वास्थ के लये हानिकारक दवाओं के औषधीय प्रयोजनों को छोड़कर इनके उपभोग पर प्रतबिध लगाने के लये नियम बनाएगा" ।
 - राज्य का वषिय: शराब, भारतीय संवधान की सातवी अनुसूची के तहत राज्य सूची में एक वषिय है ।

■ भारत में अन्य नषिध अधनियम:

- बॉम्बे आबकारी अधनियम, 1878: शराब नषिध पर पहला संकेत बॉम्बे आबकारी अधनियम, 1878 के माध्यम से था ।
 - यह अधनियम वर्ष 1939 और 1947 में कये गए संशोधनों के माध्यम से अन्य बातों और शराब नषिध के पहलुओं पर नशीले पदार्थों को लेकर शुलक लगाने से संबंधित था ।
- बॉम्बे नषिध अधनियम, 1949: बॉम्बे आबकारी अधनियम, 1878 में शराबबंदी लागू करने के सरकार के फैसले के दृष्टिकोण से "कई खामरिों" थीं ।
 - इसके कारण बॉम्बे प्रोहबिशन एक्ट, 1949 का जन्म हुआ ।
 - सर्वोच्च न्यायालय (SC) ने वर्ष 1951 में बॉम्बे राज्य बनाम एफएन बलसारा के फैसले में कुछ धाराओं को छोड़कर अधनियम को व्यापक रूप से बरकरार रखा ।
- गुजरात नषिध अधनियम, 1949:
 - गुजरात ने वर्ष 1960 में शराबबंदी नीतको अपनाया और बाद में इसे और अधक कठोरता के साथ लागू कया, लेकिन वदिशी पर्यटकों और आगंतुकों के लये शराब परमटि प्राप्त करने की प्रक्रया को भी आसान बना दया ।
 - वर्ष 2011 में, अधनियम का नाम बदलकर गुजरात नषिध अधनियम कर दया गया । वर्ष 2017 में गुजरात नषिध (संशोधन) अधनियम को इस राज्य में शराब के नरिमाण, खरीद, बकिरी और परविहन पर दस साल तक की जेल के प्रावधान के साथ पारित कया गया था ।
- बहिर मद्य नषिध अधनियम, 2016: बहिर मद्य नषिध और उत्पाद शुलक अधनियम 2016 में लागू कया गया था ।
 - 2016 से कड़े शराबबंदी कानून के तहत 3.5 लाख से अधक लोगों को गरिफ्तार कया गया है, जसिके कारण जेलों में भीड़भाड़ है और अदालतें बंद हैं ।
- अन्य राज्य: मज़ोरम, नगालैंड राज्यों के साथ-साथ केंद्रशासित प्रदेश लक्षद्वीप में शराबबंदी लागू है ।

■ शराबबंदी के खलिफ तरक:

○ नजिता का अधकार:

- कसि व्यक्ती के भोजन और पेय पदार्थों के चुनाव के अधकार में राज्य द्वारा कोई भी हस्तक्षेप एक अनुचित प्रतबिध के बराबर

है और व्यक्तिकी नरिणयात्तमक व शारीरिक स्वायत्तता को नष्ट कर देता है ।

- वर्ष 2017 के बाद से कई फैसलों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नजिता के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में रखा गया है ।
- **हसिा की भावना: वभिन्न शोधों और अध्दयनों से पता चला है कशिराब हसिा की भावना को बढा देती है ।**
 - महिलाओं और बच्चों के खलिाफ घरेलू हसिा के अधकिांश अपराध बंद दरवाजों के पीछे होते हैं ।
- **राजस्व की हानि:** शराब से प्राप्त कर राजस्व कसिी भी सरकार के राजस्व का एक बढा हसिा है । ये सरकार को कई जन कलयाणकारी योजनाओं को वतितपोषति करने में सक्षम बनाती हैं । इन राजस्वों की अनुपस्थति राज्द की लोक कलयाणकारी कार्यकर्मों को चलाने की क्षमता को गंभीर रूप से प्रभावति कर सकती है ।
- **रोज़गार का स्रोत:** आज भारतीय वदिशी शराब (आईएमएफएल) उद्योग हर साल करों में 1 लाख करोड़ से अधकि का योगदान देता है । यह लाखों कसिान परिवारों की आजीविका का समर्थन करता है और उद्योग में कार्यरत लाखों शर्मिकों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोज़गार प्रदान करता है ।
- **शराबबंदी के पक्ष में तरक:**
 - **आजीविका पर प्रभाव:** शराब पारिवारिक संसाधनों नष्ट कर देती है और महिलाओं और बच्चों को इसके सबसे कमज़ोर शकिार के रूप में छोड़ देती है । कम से कम जहां तक परिवार इकाई का संबंध है, एक सामाजिक कलंक अभी भी शराब के सेवन से जुड़ा हुआ है ।
 - **नयिमति खपत को हतोत्साहति करे:** शराब के नयिमति और अत्यधिक सेवन को हतोत्साहति करने के लयि सख्त राज्द वनियमन अनविर्य है ।
 - जैसा क अनुसूची सात के तहत **राज्द सूची** में नषिध का उल्लेख है, यह राज्द का कर्तव्य है कविह शराबबंदी से संबंधति प्रावधान करे ।

आगे की राह

- नैतिकता, नषिध या पसंद की स्वतंत्रता जैसे मुद्दों के बीच अर्थव्यवस्था, नौकरी आदि जैसे कारक भी हैं, जिन्हें नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता है । इसके कारणों और प्रभावों पर एक सूचति और रचनात्मक संवाद की आवश्यकता है ।
- नीतिनिर्माताओं को ऐसे कानून बनाने पर ध्यान केंद्रति करना चाहयि जो ज़मिमेदार व्यवहार और अनुपालन को प्रोत्साहति करते हैं ।
 - शराब पीने की उमर को पूरे देश में एक समान कयिा जाना चाहयि और इससे नीचे के कसिी भी व्यक्तिको शराब खरीदने की अनुमति नहीं दी जानी चाहयि ।
 - सार्वजनिक रूप से शराब के नशे में व्यवहार, प्रभाव में घरेलू हसिा और शराब पीकर गाड़ी चलाने के खलिाफ सख्त कानून बनाए जाने चाहयि ।
 - सरकारों को शराब से अर्जति राजस्व का एक हसिा सामाजिक शकिा, नशामुक्ति और सामुदायिक समर्थन के लयि अलग रखना चाहयि ।

स्रोत- द हट्टि

PDF Referenece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/prohibition-laws-and-issues>